न्यायालय : वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून।

वाणिज्यिक वाद सं0 246 / 2024
इण्डियन पब्लिक स्कूल बनाम दून स्कूल श्रीनगर

दिनांक 22.03.2025

वाद पुकारा गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता डॉ0 अजर रब उपस्थित आये। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंजु अंथवाल द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र कागज सं0 30घ प्रस्तुत किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र अवलोकित कर घोर विरोध किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि इस मामले में प्रतिवादी सं0 1 को छोड़कर अन्य सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद की कार्यवाही पूर्व तिथि पर एकपक्षीय अग्रसर की जा चुकी है। पूर्व तिथि पर वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र कागज सं0 6ग पर सुनी जा चुकी है। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी सं0 1 को बहस करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, किन्तु आज की तिथि पर भी प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र 6ग पर कोई बहस नहीं की गई, जबकि पत्रावली आज की तिथि पर प्रार्थना पत्र 6ग पर आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज की तिथि पर भी तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र कागज सं0 30घ प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं0 1 वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6ग पर अपना पक्ष रखने में रूचिबद्ध नहीं है, जबकि वादी द्वारा यह वाद आवश्यक अंतरिम अनुतोष हेतु योजित किया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आज की तिथि पर भी प्रार्थना पत्र 6ग पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है और प्रार्थना पत्र 30घ के माध्यम से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करने हेतु माह मई के द्वितीय सप्ताह का समय चाहा गया है।

इन परिस्थितियों में, प्रार्थना पत्र कागज सं0 6ग पर आज की तिथि तक भी प्रतिवादी सं0 1 की कोई आपत्ति न होने पर, प्रार्थना पत्र कागज सं0 6ग स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 1 को 'दि दून स्कूल' के नाम का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रयोग करने से दौराने वाद अंतरिम निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 को भी 'दि दून स्कूल' के सम्बन्ध में कोई भी रिपोर्ट, आर्टिकल अथवा वीडियो प्रकाशित किए जाने से दौराने वाद अंतरिम निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र कागज सं0 6ग निस्तारित किया जाता है।

प्रतिवादी सं0 1 को विहित समयावधि के अंतर्गत प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तदनुसार प्रार्थना पत्र 30घ निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वाद बिन्दुओं की रचना/सुनवाई हेतु दिनांक 01.07.2025 को पेश हो।

(प्रीतु शर्मा)
अपर जिला न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय,
देहरादून।